# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**....(थाना) ...**प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) .....23/2023..... (दिनांक) .....26/1/2023.....

2 I (अधिनियम).....**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** .....(धाराए).....**7**.....
II (अधिनियम)..... (धाराए) .....
III (अधिनियम) ..... (धाराए) .....
IA (अन्य अधिनियम एवं धाराए) .....

3. (क) (दिन).....**बुधवार**..... (दिनांक से).....**25.01.2023**.....(दिनांक तक).....
(ख) (पहर) .....(बजे से)..... (बजे तक) .....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना).....(दिनांक) .....(समय) .....
(रोजनामचा संदर्भ) .....(प्रविष्टि सं.) .....S10.....(समय) .....6:00 P.M.....

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक).....**लिखित रिपोर्ट** .....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....**बजानिव पश्चिम मध्य दूरी करीब 25 कि.मी.**....
(ख) (पता)..... **तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर**.....
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) .....
**(थाने का नाम)** .....**(जिला)** .....

**6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)**
(क) (नाम) .....**श्री रामजीलाल प्रजापत**.....
(ख) (पिता/पति का नाम)..... **श्री श्योजीलाल प्रजापत**.....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष).....33 **वर्ष**.....(घ) (राष्ट्रीयता).....**भारतीय**.....
(ड.) (पासपोर्ट सं.) .....
(जारी करने की तिथि) .....(जारी करने का स्थान) .....
(च) (व्यवसाय) .....
(छ) (पता).. **निवासी ग्राम पार्वती नगर महापुरा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर**

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री रघुनाथ वर्मा, जाति रैगर, उम्र 48 वर्ष, निवासी चौथ का बरबाडा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) .....

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) .....
**मांगी गई रिश्वती राशि 5000/–रुपये।**

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)

12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर विषय– रिश्वत लेने हेतु रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी के पिता श्योजी पुत्र कल्याण प्रजापत निवासी पार्वती नगर महापुरा के द्वारा उप जिला कलक्टर चौथ का बरबाडा में 251 (रास्ता संबंधित धारा में प्रकरण दर्ज था, जिसका फैंसला दिनांक 07.10.2022 को प्रार्थी के पिता के पक्ष में न्यायालय द्वारा फैंसला किया गया उक्त रास्ते को नक्शा शीट राजस्व में दर्ज करने हेतु तहसीलदार चौथ का बरबाडा को निर्देशित करने के बाबजूद सहायक ऑफिस कानूनगो औमप्रकाश रैगर निवासी चौथ का बरबाडा द्वारा उक्त मामले को परिवादी को मानसिक परेशान कर रिश्वत के लालच में बार–बार तहसील बुलाया जाता रहा है। और पैसे लेकर कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है। उक्त मामले में प्रार्थी 20.01.2023 को तहसील कार्यालय में अपना काम करवाने के लिये गया तो औमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो ने कहा की रास्ते के मामले मे तो लोग 20,000रू तक लेते है। तु मिलने वाला आदमी है तो तुझे तेरा काम 5000/– रू में कर देगें। उक्त व्यक्ति के खिलाफ रंगे हाथ पकडाये जाने की कार्यवाही करने की

Vinay Soni

कृपा करे। प्रार्थी हस्ता0 रामजीलाल प्रजापत पुत्र श्योजी प्रजापत, निवासी पार्वतीनगर (महापुरा)मो0न0 9828111693

**कार्यवाही पुलिस**

दिनांक 24.01.2023 समय–12:30 पी.एम.

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी रामजीलाल प्रजापत पुत्र श्योजीलाल प्रजापत,जाति प्रजापत, उम्र 33 वर्ष निवासी, पार्वती नगर महापुरा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड मय प्रकरण उनवानी श्योजी बनाम रामबाबू निर्णय दिनांक 07.10.2022 की पालना कराने बाबत उप जिला कलक्टर चौथ का बरबाडा को दिये गये प्रार्थना पत्र की स्व0 प्रमाणित प्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर को सम्बोधित करते हुये मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी को पेश की चूंकी इमरोज श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहादत पर जयपुर गये हुये है। परिवादी द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी के पिता श्योजी पुत्र कल्याण प्रजापत निवासी पार्वती नगर महापुरा के द्वारा उप जिला कलक्टर चौथ का बरबाडा में 251 (रास्ता संबंधित धारा में प्रकरण दर्ज था, जिसका फैंसला दिनांक 07.10.2022 को प्रार्थी के पिता के पक्ष में न्यायालय द्वारा फैंसला किया गया उक्त रास्ते को नक्शा शीट राजस्व में दर्ज करने हेतु तहसीलदार चौथ का बरबाडा को निर्देशित करने के बाबजूद सहायक ऑफिस कानूनगो औमप्रकाश रैगर निवासी चौथ का बरबाडा द्वारा उक्त मामले को परिवादी को मानसिक परेशान कर रिश्वत के लालच में बार–बार तहसील बुलाया जाता रहा है। और पैसे लेकर कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है। उक्त मामले में प्रार्थी 20.01.2023 को तहसील कार्यालय में अपना काम करवाने के लिये गया तो औमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो ने कहा की रास्ते के मामले मे तो लोग 20,000रू तक लेते है। तु मिलने वाला आदमी है तो तुझे तेरा काम 5000/– रू में कर देगें। उक्त व्यक्ति के खिलाफ रंगे हाथ पकडाये जाने की कार्यवाही करने की कृपा करे। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी रामजीलाल प्रजापत से मजिद दरयाप्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही–सही होना तथा आरोपी से कोई पुरानी रंजिश नहीं होना और ना ही कोई पुराना उधार का लेन देन बकाया होना बताया। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट एवं परिवादी से मजिद दरियाफ्त पर मामला रिश्वती लेने देने का होना पाया जाने पर गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। लिखित रिपोर्ट एवं मजिद दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर समय–1:00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि0 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाकर मनोज कुमार कानि0 को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये मनोज कुमार कानि0 से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री मनोज कुमार कानि0 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय–1:15 पी. एम. पर परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत एवं श्री मनोज कुमार कानि0 को बाद हिदायत परिवादी व मनोज कुमार कानि0 को अपनी–अपनी निजी मोटरसाईकिल से आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जिला सवाई माधोपुर के लिए बाद हिदायत समझाईश के रवाना किया गया था। इसके बाद समय–3:30 पी.एम. पर श्री मनोज कुमार कानि0 ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर आया और मनोज कुमार कानि0 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी रामजीलाल प्रजापत अपनी–अपनी मोटरसाईकिलो से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से रवाना होकर चौथ का बरबाडा के पास पहुंचे जहां पर मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर परिवादी रामजीलाल प्रजापत को सुपुर्द कर आरोपी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना कर दिया था तथा मैं वहीं पर आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हो गया था। इसके कुछ समय पश्चात परिवादी रामजीलाल प्रजापत मेरे पास आया, जिससे मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया एवं परिवादी ने पूछने पर बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर आरोपी ओमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा के पास तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा गया, और ओमप्रकाश रैगर से मैने मेरे पिता श्योजी प्रजापत द्वारा उप जिला कलक्टर चौथ का बरबाडा में रास्ता संबंधित प्रकरण में बातचीत की तो उसने कहा

की ऐसे मामलो में लोग 20 दे जाते है, तू मेरे को पांच दे जाना। मैनें कुछ कम करने को कहा तो ओमप्रकाश जी ने मना कर दिया की इससे कम नही होगा। मैने कहा ठीक है कल या एक–दो दिन में मैं पूरे ही कर दूंगा। इसके बाद परिवादी रामजीलाल प्रजापत ने मुझे कानि0 को बताया की अभी मेरे पास रिश्वती राशि पांच हजार रूपये की व्यवस्था नही है। मैं रिश्वती राशि पांच हजार रूपये की व्यवस्था करके कल सुबह आपके पास कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर मन कानि0 ने परिवादी रामजीलाल प्रजापत को ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया तथा मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय में आ गया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोज कुमार कानि. से डिजिटल वाईस रिकार्डर जरिये फर्द वापसी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद मनोज कुमार कानि. से डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से अटैच करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की सहायता से सुना गया तो परिवादी रामजीलाल प्रजापत एवं आरोपी ओमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा कल दिनांक 25.01.23 या एक–दो दिन में रिश्वत राशि लेने पर सहमत होने सम्बंधी वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय के पास रखा गया। दिनांक 25.01.2023 समय–10:15 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय हाजा के श्री राजवीर सिंह कानि. को मुनासिब हिदायत कर प्राचार्य राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह हमराह लाने हेतु रवाना किया गया। इसके पश्चात समय 10:30 ए.एम. पर परिवादी रामजीलाल प्रजापत पुत्र श्योजीलाल प्रजापत,जाति प्रजापत, उम्र 33 वर्ष, निवासी, पार्वती नगर महापुरा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल दिनांक 24.01.2023 को मैं व मनोज कुमार कानि. अपनी–अपनी मोटरसाईकिलो से आपके कार्यालय से रवाना होकर चौथ का बरबाडा के पास पहुंचे जहां पर मनोज कुमार कानि ने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर मुझे देकर आरोपी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना कर दिया था तथा मनोज कुमार कानि वहीं पर आस–पास रूक गये थे। मैं मनोज कुमार कानि0 के पास से रवाना होकर आरोपी ओमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा के पास तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा पहुंचा, जहां पर मुझे ओमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो उपस्थित मिले जिनसे मैने मेरे पिता श्योजी प्रजापत द्वारा उप जिला कलक्टर चौथ का बरबाडा में रास्ता संबंधित प्रकरण में बातचीत की तो उसने कहा की ऐसे मामलो में लोग 20 दे जाते है, तू मेरे को पांच दे जाना। मैनें कुछ कम करने को कहा तो ओमप्रकाश जी ने मना कर दिया की इससे कम नही होगा। मैने कहा ठीक है कल या एक–दो दिन में मैं पूरे ही कर दूंगा। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर मनोज कुमार कानि0 के पास आ गया, जिन्होने मेरे रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया था। मैने उपरोक्त बाते मनोज कुमार कानि0 को बतायी थी। इसके बाद मैनें मनोज कुमार कानि0 को बताया की अभी मेरे पास रिश्वती राशि पांच हजार रूपये की व्यवस्था नही है। मैं रिश्वती राशि पांच हजार रूपये की व्यवस्था करके कल सुबह आपके पास कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर मनोज कुमार कानि0 ने मुझे ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना कर दिया था और मनोज कुमार कानि0 भी वहां से रवाना हो गये थे। आज मैं आरोपी ओमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच हजार रूपये की व्यवस्था कर अपने साथ लाया हूँ। इस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके पश्चात समय 11:15 ए.एम. पर श्री राजवीर सिंह कानि. कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पोलोटेक्निक महाविधालय सवाई सवाई माधोपुर के पत्रांक 1667 दिनांक 25.01.2023 के द्वारा मनोनित दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया, श्री रमेश कुमार कानि. के हमराह आये हुए स्वतंत्र गवाहान से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय पूछा तो उन्होने अपने नाम क्रमशः श्री गिरधारी लाल शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा, जाति ब्राहम्मण, उम्र 47 वर्ष, निवासी 1/501, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, सवाई माधोपुर हाल प्रवक्ता, राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, सवाई माधोपुर तथा श्री संजय मीना पुत्र श्री रामधन मीना, जाति मीना, उम्र 38 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 3, महावीर नगर प्रथम, रेल्वे स्टेशन के पास रणथम्बोर रोड, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर, हाल प्रवक्ता, राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, सवाई माधोपुर होना बताया। स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये बाद हिदायत कार्यालय में बिठाया गया। इसके पश्चात समय–11:30 ए.एम. पर परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत का कार्यालय में उपस्थित आये दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट को पढकर उस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 24.01.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी रामजीलाल प्रजापत एवं आरोपी

ओमप्रकाश रैगर सहायक ऑफिस कानूनगो के मध्य हुई वार्ता के मुख्य अंश स्वतंत्र गवाहान को परिवादी की मौजूदगी में सुनाया गया एवं ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। इसके पश्चात समय–11:45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी रामजीलाल प्रजापत से मांगने पर आरोपी ओमप्रकाश रैगर, सहायक ऑफिस कानूनगो, तहसील चौथ का बरबाडा, सवाई माधोपुर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 10 नोट अर्थात कुल 5,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| क्रम संख्या | नोटों का विवरण | नोटों के नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | एक नोट 500 रूपये का | 1 SM 485767 |
| 2. | एक नोट 500 रूपये का | 5 AG 721633 |
| 3. | एक नोट 500 रूपये का | 5 AN 893802 |
| 4. | एक नोट 500 रूपये का | 6 BV 057647 |
| 5. | एक नोट 500 रूपये का | 9 AF 405103 |
| 6. | एक नोट 500 रूपये का | 0 SQ 801860 |
| 7. | एक नोट 500 रूपये का | 2 NF 731405 |
| 8. | एक नोट 500 रूपये का | 7 NF 368629 |
| 9. | एक नोट 500 रूपये का | 7 TF 575150 |
| 10. | एक नोट 500 रूपये का | 6 GC 729227 |

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री राजवीर सिंह कानि0 से मालखाने में रखे फिनॉफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाया जाकर उक्त कानि0 से एक अखबार के उपर फिनॉफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 5,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गिरधारी लाल शर्मा, प्रवक्ता से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये परिधान तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये 5,000/–रूपयो को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर पहने हुये टोपे को सिर से उतारकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री संजय मीना प्रवक्ता से एक कांच के साफ मग में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीना प्रवक्ता से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त मग के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मग के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री राजवीर सिंह कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो मग के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री राजवीर सिंह कानि0 से मग के धोवन को कार्यालय परिसर के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री राजवीर

Vina Soni

सिंह कानि0 के दोनो हाथों एवं मग को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस निरीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय–12:15 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई आपत्तीजनक वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में ट्रेप पार्टी सदस्यो को बताया गया। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी मय परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत मय स्वतंत्र गवाहान श्री गिरधारी लाल शर्मा प्रवक्ता, श्री संजय मीना प्रवक्ता मय श्री रमेश कुमार कानि, श्री मनोज कुमार कानि0, श्री रामकेश कानि0 मय के मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप वॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण के एवं श्री जुगलाल कानि0, श्री संजय कुमार कानि0 चालक, श्री हम्मीर सिंह कानि0, श्री भोलाराम कानि0 मय प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु चौथ का बरबाडा के लिये रवाना होता हूं। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री राजवीर सिंह कानि. को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा गया। इसके पश्चात समय–01:00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी सहित मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा चौथ का बरबाडा के पास पहुंचा। निजी वाहनो को सडक के किनारे सुरक्षित खडा करवाया जाकर परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत को आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु आवश्यक हिदायत कर तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा के लिये रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान परिवारी के नियत ईशारे के इन्तजार में अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुआ। इसके पश्चात समय– 02:20 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी को परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत ने रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत कराते हुये मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी रामजीलाल प्रजापत के पास कमरा नम्बर 15 भू–अभिलेख शाखा पहुंचा। जहां पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी रामजीलाल प्रजापत से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी रामजीलाल प्रजापत ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा के द्वितीय तल पर पहुंचा, जहां पर ओमप्रकाश जी मुझे कमरा नम्बर 15 में उपस्थित मिले, जो मुझे कमरे में से अपने साथ लेकर बाहर गैलेरी में ले गये और कहा की कितने लाया मैने कहा की पांच हजार लाया हूँ। इसके बाद मैने रिश्वती राशि पांच हजार रूपये निकालकर सीधे ही ओमप्रकाश जी को दे दी, जिन्होने रिश्वती राशि पांच हजार रूपये अपने बांये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब में रख लिये, और कहा की तू अब मेरे साथ कमरे में आजा। इस पर मैंने ओमप्रकाश जी के साथ गैलेरी से कमरे के अन्दर घुसने के दौरान ही आपको और आपकी टीम को रिश्वती स्वीकृति का ईशारा कर दिया था। इसके थोडी देर बाद ही आप और आपकी टीम कमरा नम्बर 15 में आ गयी थी, आप और आपकी टीम को देखकर ओमप्रकाश जी ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जैब से रिश्वती राशि पांच हजार रूपये निकालकर अपनी टेबिल के पास नीचे फर्श पर फैंक दी थी। परिवादी ने पास ही कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया की यही ओमप्रकाश जी है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री रघुनाथ वर्मा, जाति रैगर, उम्र 48 वर्ष, निवासी चौथ का बरबाडा हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, तहसील चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर का होना बताया।तत्पश्चात आरोपी ओमप्रकाश

वर्मा को परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत से 5,000/–रूपये किस बात के लिये है बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि परिवादी रामजीलाल प्रजापत के पिता श्योजी की रास्ते की फाईल चल रही है, जो एसडीओ कोर्ट से आदेश होकर आये थे, जिसमें रास्ते की कार्यवाही चल रही थी, मैने तो रामजीलाल से हंसी मजाक में ही कहा था बाकि इसकी फाईल में रास्ते के नामान्तरण की कार्यवाही चल रही है। मेरे पास कोई काम पेण्डिंग नही है। इस पर पूछने पर पास ही खडे परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत ने आरोपित ओमप्रकाश की बात का खण्डन करते हुए बताया कि पांच हजार रूपये लगेगें नही तो साल भर तक अटका देंगे। और लोग तो हमें बीस–बीस हजार रूपये दे देते है, तेरे से तो पांच हजार रूपये ही ले रहा हूँ। इन्होने मेरे हंसी मजाक में नही रिश्वत के पांच हजार रूपये मांगे थे। इस पर मैने कल दिनांक 24.01.2023 को आपके कार्यालय में आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, इस पर आप द्वारा कल दिनांक 24.01.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया था। रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान ओमप्रकाश जी ने मेरे से 5,000/–रू. की मांग की थी और दिनांक 25.01.2023 को लेने पर सहमत हुआ था। जिस पर आज दिनांक 05.01.2023 को ओमप्रकाश जी ने मेरे से रिश्वत राशि 5,000/–रू. आज मांग कर लिये है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी ओमप्रकाश से रिश्वत राशि बाबत पूछा तो उसने टेबिल के पास ही फर्श पर पडे पांच–पांच सो रूपये के नोटो की तरफ ईशारा कर रिश्वत राशि बाबत बताया। जिसे यथा स्थिति बैठे रहने की हिदायत दी गई एवं ट्रेप बोक्स मंगवाया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह गिरधारी लाल शर्मा से फर्श पर पडे नोटो को उठवाकर गिनवाया व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो हुबहु वही नोट होना पाया गया। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री गिरधारी लाल शर्मा से नोटो के नम्बर बुलवाये व स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीना से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो वही नम्बरी नोट पाये गये हुबहु पाये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| क्रम संख्या | नोटों का विवरण | नोटों के नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | एक नोट 500 रूपये का | 1 SM 485767 |
| 2. | एक नोट 500 रूपये का | 5 AG 721633 |
| 3. | एक नोट 500 रूपये का | 5 AN 893802 |
| 4. | एक नोट 500 रूपये का | 6 BV 057647 |
| 5. | एक नोट 500 रूपये का | 9 AF 405103 |
| 6. | एक नोट 500 रूपये का | 0 SQ 801860 |
| 7. | एक नोट 500 रूपये का | 2 NF 731405 |
| 8. | एक नोट 500 रूपये का | 7 NF 368629 |
| 9. | एक नोट 500 रूपये का | 7 TF 575150 |
| 10. | एक नोट 500 रूपये का | 6 GC 729227 |

उपरोक्त 5000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप बोक्स में से दो कांच के मग निकलवाकर उनको गवाह श्री संजय मीना से साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से उक्त कमने में रखे पानी के केम्पर मे से पानी मंगवाया जाकर दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग–अलग दूरी पर रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह संजय मीना से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे का ढक्कन खुलवाकर दोनो मगो में थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी ओमप्रकाश वर्मा, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का गंदमेला व बांये हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2, एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित

कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त गवाह संजय मीना से दोनो मगो को साफ पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात आरोपी ओमप्रकाश वर्मा को अपनी पहनी हुई पेन्ट उतार कर पेश करने की कहा जिस पर उसने अपनी पेन्ट उतार कर पेश की तथा आरोपी ओमप्रकाश को एक लोअर मंगवाया जाकर पहनाया गया तथा उक्त कमरे में से स्वतन्त्र गवाह श्री संजय मीना से एक पानी का कैम्पर में से पानी भरवाया जाकर एक मग में उक्त गवाह से साफ पानी से अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से पानी मग में डलवाया गया व ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर मग में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी ओमप्रकाश वर्मा की पेन्ट की सामने की बांयी जैब को उलटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीना से धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी ओमप्रकाश वर्मा की पहनी हुये पेन्ट जिसकी सामने की बांयी जेब में आरोपी ने रिश्वत राशि रखी थी, उक्त जैब को सुखवाकर जैब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर अंकित करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपित ओमप्रकाश वर्मा से परिवादी रामजीलाल प्रजापत के कार्य से संबंधित पत्रावली के बारे में पूछा गया तो आरोपित ओमप्रकाश वर्मा ने उक्त कमरे में टेबिल के उपर से एक पत्रावली पेश की, जिसका पृथक से अवलोकन कर जब्त कर कब्जा एसीबी ली जावेगी। इसके बाद परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत एवं आरोपी ओमप्रकाश वर्मा, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत एवं आरोपित ओमप्रकाश वर्मा से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 4.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर का नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 5.15 पी.एम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री रघुनाथ वर्मा, जाति रैगर, उम्र 48 वर्ष, निवासी चौथ का बरबाडा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी ओमप्रकाश वर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीना से लिवायी गई तो उसके बांये हाथ में टाईटन कम्पनी की घडी, व पहनी हुई जाकिट में से एक मोबाईल रेड मी कम्पनी व नगद 507 रूपये, मोटरसाईकिल की चाबी व अन्य चाबी, कार्ड होल्डर मिले, जो स्वतंत्र गवाह श्री संजय मीना के पास सुरक्षित रखे हुए है के बारे में आरोपी से पूछा तो बताया कि ये रूपये मेरे घर खर्च एवं गाडी के पेट्रोल आदि के लिये रखे है। आरोपी का जबाव सन्तोषप्रद होना पाया गया। आरोपी को हस्व कायदा उपरोक्त धारा में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से मौके पर उपस्थित आये स्वंय के पुत्र मोहित वर्मा को दी गई। जामा तलाशी में मिले उक्त समस्त सामानों व नगद राशि, मोबाईल, घडी आदि को अभियुक्त के कहे अनुसार आरोपी के पुत्र मोहित वर्मा को सुपुर्द किये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 5.40 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत के समक्ष आरोपित ओमप्रकाश वर्मा द्वारा पेश की गई परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत के कार्य से संबंधित पत्रावली, की पेजिंग करवाई गई तो पेज संख्या 01 से 33 तक है, उक्त पत्रावली के प्रथम पृष्ठ पर कार्यालय टिप्पणी लिखि हुई है, जिसमें उप जिला कलक्टर चौथ का बरबाडा का निर्णय मुकदमा नम्बर 07/2021 किस्म मु0 251 (क) दिनांक 07/10/2022 में

ग्राम पार्वती नगर के ख.नं. 403 पर आने जाने हेतु ख0नं0 398 में से 8 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा एवं खसरा नम्बर 403 में से 38 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने बाबत टिप्पणी है एवं संलग्न दस्तावेज लगे हुये है। उपरोक्त मूल पत्रावली को श्री उपेन्द्र शर्मा उप खण्ड अधिकारी चौथ का बरबाडा , जिला सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर फोटो प्रतिया करवा कर प्रमाणित कर प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश करने पर मूल पत्रावली व फोटोप्रति पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा प्रकरण में वजह सबूत होने पर पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. ली गई। परिवादी का कार्य बाधित नही हो इसलिए उपरोक्त मूल पत्रावली श्री उपेन्द्र शर्मा उप खण्ड अधिकारी चौथ का बरबाडा जिला सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब भी न्यायालय अथवा ए.सी.बी. तलब करे तो पेश करें। फर्द जप्ती अभिलेख पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 06.10 पी.एम. पर आरोपी ओमप्रकाश वर्मा के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा में होने के कारण एवं आरोपी भी वहां का स्थानीय निवासी होने के कारण एवं स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। इस कारण आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी लेने का कोई औचित्य नही है। इस कारण अभियुक्त की खाना तलाशी नही ली गई। इसके पश्चात समय 06.20 पी.एम.:– इस समय बाद ट्रेप कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मय जप्त एवं बरामदशुदा माल बजह सबूत मय प्राईवेट वाहनों के चौथ का बरबाडा से सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। इसके पश्चात समय 08.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मय जप्त एवं बरामदशुदा माल बजह सबूत मय प्राईवेट वाहनों के चौथ का बरबाडा से रवाना हो राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर पहुंच, गिरप्तार शुदा अभियुक्त का स्वास्थय परीक्षण करवाकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से रवाना होकर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा हूं। जप्त/सील शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 5,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2 एवं पी–1, पी–2 व शील्ड पैकिट मार्क ''पी''को श्री जुगलाल कानि. कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया एवं गिरप्तार शुदा अभियुक्त ओमप्रकाश वर्मा को राजवीर सिंह कानि0 व प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ लिपिक की निगरानी में कार्यालय में रखा गया। इसके पश्चात समय 09.00 पी.एम पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 24.01.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव सेन डिस्क कम्पनी तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इसके पश्चात दिनांक 26.01.2023 समय 12.15 ए.एम.पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता परिवादी श्री रामजीलाल प्रजापत एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 25.01.2023 को परिवादी रामजीलाल प्रजापत व आरोपी ओमप्रकाश वर्मा के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है, को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी रामजीलाल प्रजापत एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप तैयार करवाकर उक्त वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व दो डीवीडी क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इसके पश्चात समय 02.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 44 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 02.30 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी रामजीलाल प्रजापत को रात्री अधिक हो जाने के कारण को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत दी गई।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री रघुनाथ वर्मा, जाति रैगर, उम्र 48 वर्ष, निवासी चौथ का बरबाडा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा, जिला

सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी रामजीलाल प्रजापत पुत्र श्योजीलाल प्रजापत,जाति प्रजापत, उम्र 33 वर्ष निवासी, पार्वती नगर महापुरा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर से परिवादी के पिता श्योजी पुत्र कल्याण प्रजापत निवासी पार्वती नगर महापुरा के द्वारा उप जिला कलक्टर चौथ का बरबाडा में 251 (रास्ता संबंधित धारा में प्रकरण दर्ज था, जिसका फैंसला दिनांक 07.10.2022 को प्रार्थी के पिता के पक्ष में न्यायालय द्वारा फैंसला किया गया उक्त रास्ते को नक्शा शीट राजस्व में दर्ज करने हेतु तहसीलदार चौथ का बरबाडा को निर्देशित करने पर उक्त कार्य की एवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 24.01.2023 को आरोपी ओमप्रकारा वर्मा द्वारा एवज में 5,000/— रू. रिश्वत की मांग पर सहमत होना एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 25.01.2023 को परिवादी से उक्त मांग के अनुसरण में 5,000/—रू. रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकडा जाना आरोपित ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री रघुनाथ वर्मा, जाति रैगर, उम्र 48 वर्ष, निवासी चौथ का बरबाडा, पुलिस थाना चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय चौथ का बरबाडा, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

(विवेक सोनी)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विवेक सोनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री रघुनाथ वर्मा, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 23/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26/1/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 175-78 दिनांक 26.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

26/1/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।